न्यायालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।

निगरानी संख्या –107 / 2010–11 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम।

श्री अब्दुल हमीद पुत्र हाफिज मियाँ निवासी ग्राम–जीवनगढ़, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

–निगरानीकर्ता।

बनाम

सर्वश्री पूरन व रमेश व बिजू पुत्रगण देवीलाल व श्रीमती शान्ति पत्नी पुर बहादुर व लाल बहादुर पुत्र जयवीर सभी निवासीगण जीवनगढ़, परगना पछवादून तहसील विकासनगर, जिला देहरादून व गाँव सभा जीवनगढ़।

–विपक्षीगण।

बावत

भूमि स्थित मौजा जीवनगढ़, परगना पछवादून,
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), विकासनगर के आदेश दिनांक 06 जुलाई, 2010 के विरूद्व दायर की गई है जिस द्वारा विद्वान सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) ने निगरानीकर्ता के धारा–41 भू–राजस्व अधिनियम अन्तर्गत दायर वाद को इस कारण तहसीलदार, विकासनगर को वापस कर दिया कि सीमांकन से पूर्व प्रतिवादीगणों पर नियमानुसार नोटिस तामील नहीं कराया गया था।

इस निगरानी में प्रतिउत्तरदातागण प्रकाशन के पश्चात भी हाज़िर अदालत न होने के कारण 20 सितम्बर, 2013 को एक पक्षीय सुनवाई के आदेश पारित कर निगरानीकर्ता का पक्ष 29 अक्टूबर, 2013 को सुना गया।

निगरानीकर्ता का कथन है कि प्रतिउत्तरदातागण सीमांकन की कार्यवाही पूरा नहीं होना देना चाहते हैं जिस कारण लगभग 08 वर्ष से निगरानीकर्ता के आवेदन पर कार्यवाही लम्बित है। सभी पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही हुई थी। प्रतिउत्तरदातागण अवर न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने आपत्ति दाखिल की थी परन्तु उसके बाद उन्होंने वाद में रूचि नहीं ली व अवर न्यायालय ने 05 नवम्बर, 2009 को प्रतिउत्तरदातागण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया था परन्तु इसके बावजूद अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश से पुनः प्रतिउत्तरदातागण को नोटिस देकर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करने का आदेश दिया है जो अवैधानिक है।

अवर न्यायालय की वाद पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि निगरानीकर्ता ने 08 जुलाई, 2005 को धारा–41 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया था जिसे तहसीलदार, विकासनगर को जांच हेतु भेजा गया था। तहसील ने दिनांक 29 सितम्बर, 2005 को रिपोर्ट दी कि स्थल पर भूमि कम पाई गई किन्तु मेड़ टूटी नहीं पाई गई। आवश्यक शुल्क जमा कर सीमांकन की सिफारिश की गई। निर्धारित शुल्क जमा करने पर सीमांकन कार्यवाही परगनाधिकारी, विकासनगर के आदेश दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 से प्रारम्भ की गई। दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को सीमांकन कार्यवाही की गई तथा लकड़ी की

खुटिया लगाकर सर्व संबंधित को सूचित किया गया कि वे अपनी आपत्ति 15 दिन में दाखिल करें। इस कम में प्रतिउत्तरदातागण की ओर से 27 सितम्बर, 2006 को आपत्ति दर्ज की गई जिसका प्रतिउत्तर निगरानीकर्ता की ओर से 15 मई, 2007 को दिया गया। मौके पर की गई सीमांकन की कार्यवाही की पुष्टि में सीमांकन करने वाले राजस्व निरीक्षक श्री भूप सिंह के बयान न्यायालय में दिनांक 18 जून, 2009 को दर्ज कराए गए। इसके पश्चात आक्षेपित आदेश से सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) ने पुनः संबंधित पक्षों को नोटिस देकर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करने के आदेश दिए जिससे क्षुब्ध होकर वर्तमान निगरानी संस्थापित की गई है।

मैं निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से सहमत हूँ कि एक बार जब अवर न्यायालय ने प्रतिउत्तरदातागण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने के आदेश दिनांक 05 नवम्बर, 2009 को दे दिए थे तो वे आक्षेपित आदेश द्वारा बिना किसी कारण पुनः प्रतिउत्तरदातागण को नोटिस देने का आदेश नहीं कर सकते थे। यह भी सही है कि यदि प्रतिउत्तरदातागण एक पक्षीय आदेश से क्षुब्ध थे तो उन्हें पर्याप्त कारण बताते हुए सिविल प्रकिया संहिता के आदेश **09** नियम 7 के अन्तर्गत आवेदन करना चाहिए था। प्रतिउत्तरदातागण द्वारा सीमांकन वाद में रूचि न लेने के कारण निगरानीकर्ता के आवेदन पर निर्णय लम्बित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाती है व सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), विकासनगर का आक्षेपित आदेश 06 जुलाई, 2010 निरस्त किया जाता है व सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), विकासनगर से अपेक्षा की जाती है कि वे विधि अनुसार उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में अग्रेत्तर कार्यवाही करें जिसमें यह स्मरण रहे कि धारा–41 भू–राजस्व अधिनियम का मुख्य ध्येय सीमा विवादों को सुलझाने का है न कि खाते में दर्ज रक्बा पूरा करने का।

देहरादून,
10 अक्टूबर, 2013

(सुनील कुमार मुद्दू)
अध्यक्ष।